प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्रीमती आशी अग्रवाल,
निवासी–102, आशीर्वाद रेजीडेन्सी,
विजय नगर कालोनी,
आगरा।

पत्रांक : 076/बीएफएल/5/14–15 दिनांकः 20 /10 /2014

विषयः मौजा–पनवारी, आगरा के खसरा सं0 303ए, 304बी, 334, 335 व 336 पर प्रस्तुत विन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत खसराओं की भूमि पर आपके द्वारा प्रस्तुत विन्यास मानचित्र पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 18.10.2014 द्वारा निम्न शर्त/प्रतिबंध के अधीन औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है–

(1) भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद–विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) टोरण्ट पॉवर लि0 की अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किया जायेगा।

(3) विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति प्रमाणपत्रों में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं पक्ष द्वारा इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(4) आवेदक को प्रस्तावित स्थल पर भवन उपविधि–2008 के अनुसार वृक्षारोपण करना होगा तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु रू0 10.00 लाख (रिफण्डेबिल) जमा करना होगा।

(5) आवेदक द्वारा कालोनी के समस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा–विद्युत, पेयजल, सड़क, नाली, पार्क, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डलाबघर, सीवर, वृक्षारोपण आदि कार्य मानक के अनुसार स्वयं करने होंगे तथा इस हेतु प्राधिकरण के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(6) बाह्य विकास शुल्क एवं आन्तरिक विकास हेतु आंगणित धनराशि के 50 प्रतिशत के समतुल्य भूखण्ड बंधक रखने होंगे। बंधक भूखण्ड स्थल पर किये गये आंतरिक विकास कार्यों एवं बाह्य विकास के मद में जमा की गयी धनराशि के अनुपात में विमुक्त किये जायेंगे।

(7) आवेदक को एस0टी0पी0 डिजायन एवं लैण्डफिल साइट हेतु शपथ पत्र मानचित्र निर्गत करने से पूर्व प्रस्तुत करने होगें।

(8) बाह्य विकास की अवशेष धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराते हुए, छः छमाही किश्तों में 12 प्रतिशत ब्याज की दर से आवेदक को जमा करानी होगी तथा प्रथम 25 प्रतिशत धनराशि एवं अन्य शुल्क जमा कराने के उपरान्त ही अनुबंध की कार्यवाही की जाएगी।

(9) मा0उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 61669/2010 में दिनांक 23.05.2014 को पारित आदेशों के क्रम में निरीक्षण शुल्क रू0 4,97,967.00 हेतु प्रस्तुत क्षतिपूर्ति बंध–पत्र तथा शपथ–पत्र के अनुसार देय शुल्क माँगे जाने पर नियमानुसार प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

(10) पक्ष को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि रोड वाइडनिंग हेतु आवेदक स्वेच्छा से निःशुल्क भूमि छोड़ेगो तथा प्राधिकरण से किसी प्रकार का दावा आदि नहीं करेगा।

अतः बाह्य विकास शुल्क के मद में वांछित धनराशि रू0 1,02,93,815.00 की 25 प्रतिशत धनराशि, शेल्टर फीस रू0 18,69,600.00 तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना हेतु धरोहर राशि रू0 10,00,000.00 प्राधिकरण कोष में एकमुश्त जमा कराकर, सात दिन के अन्दर उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुये, अनुबंध निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

20/10/14

सहायक अभियंता(भवन)

O/C

20/10/14